

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY



टेलीफोन : कार्यालय : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0517 - 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

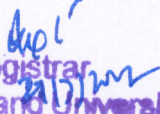
झाँसी (उ.प्र.) 284128

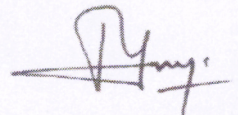
PROCTORIAL BOARD

Chief Proctor's Message

For the smooth functioning of the University the maintenance of law and order is very important, especially for a conducive academic atmosphere in the Campus. Proctorial Board of the University assigned this task in form of the following mandate for accomplishment of the real purpose:

- Monitoring the disciplinary atmosphere among the students community.
- Regulation and maintenance of vehicular traffic in the Campus and their parking at different gates of the Campus.
- Taking preventive steps such as issuance of notices, warnings, instructions, regulating certain acts and other arrangements for the purpose of forestalling acts of individual and collective indiscipline.
- Maintain liaison with the State administration in matters regarding the law and order in the campus.
- Providing security for various examination centers during entrance/ admission tests to ensure free and fair conduct of examination.
- There is an anti-ragging Cell headed by Chief Proctor with other Proctors as members to curb the menace of ragging from the Campus. Besides, the Office has been running a Disaster Management Cell from last three years.


Registrar
Bundelkhand University
JHANSI



(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

Mob: 9076501608, 9412322576



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Anti-Ragging Problems and their resolutions

Anti-ragging committee members

(a) Prof. Rajesh Kumar Saini Chief Proctor (7318042120)	Chairman
(b) Dr. Prem Prakash Singh Assistant Proctor (9598181115)	Convener
(c) Dr. Sunil Trivedi Assistant Proctor (9450332171)	Member
(d) Dr. Shubhangi Nigam Assistant Proctor (9450068412)	Member

Case I: Mrinal Kumar for the allegations he imposed on the faculty and the senior students of the department.

Investigation report submitted by the Anti-ragging committee:

1. The members of the anti-ragging committee personally met the faculty and students of the Institute of Biomedical Sciences and investigated the charges made by Mrinal Kumar for the allegations he imposed on the faculty and the senior students of the department.
2. The investigations made by the anti-ragging committee finally submitted their conclusive report which includes the following conclusions:
 - (a) All the charges imposed by Mrinal Kumar are false and irrelevant.
 - (b) No ragging was reported by any senior students against Mrinal Kumar.
 - (c) Written joint statements of **Dr. Lavkush Dwivedi, Dr. Shiv Shankar, and Mr. Vigyan Singh** have been taken along with all relevant documents as evidence.
2. Report should be on the letterhead of the institution or with the stamp of the Head of the institution in pdf, doc, or JPEG format along with all the supporting documents.
 - a. **Report available on the letterhead of the University with the stamp.**
3. Kindly mention your Regulatory Authority (i.e., UGC, MCI, NAAC, MHRD, AICTE, etc.)
 - a. **UGC, AICTE approved.**
4. Details of the punishment for the culprit, if any, etc.
 - a. **No culprits.**

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

Mob: 9076501608, 9412322576



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Anti-Ragging Problems and their resolutions

Anti-ragging committee members

(a) Prof. Rajesh Kumar Saini Chief Proctor (7318042120)	Chairman
(b) Dr. Prem Prakash Singh Assistant Proctor (9598181115)	Convener
(c) Dr. Sunil Trivedi Assistant Proctor (9450332171)	Member
(d) Dr. Shubhangi Nigam Assistant Proctor (9450068412)	Member

Case II: Charges imposed by B. Pharma (I year) for ragging in the class and hostel

The anti-ragging committee meet personally to every student of B. Pharma (I year) and every student of B.Sc. (Ag.), IInd year to invigilate for any type of ragging on or off the campus. (List of all students attached).

(i) Conclusions of the invigilation: **No ragging for any students**

(ii) Report should be on Letter Head of the institution or with the stamp of the Head of Institution in pdf, Doc or JPEG format along with all supported documents.

Report available Letter Head of the University with seal.

(iii) Kindly mention your Regulatory Authority (i.e. UGC, MCI, NACC, MHRD, AICTE etc.)
UGC, AICTE approved

(iv) Details of punishment for the culprits- if any etc.
No culprits

Ad'
Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

Mob: 9076501608, 9412322576



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITATION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Anti-Ragging Problems and their resolutions

Anti-ragging committee members

- (e) **Prof. Rajesh Kumar Saini**, Chief Proctor (7318042120) Chairman
- (f) **Dr. Prem Prakash Singh**, Assistant Proctor (9598181115) Convener
- (g) **Dr. Sunil Trivedi**, Assistant Proctor (9450332171) Member
- (h) **Dr. Shubhangi Nigam**, Assistant Proctor (9450068412) Member

Case III: Charges imposed by B.Tech Food Technology 1st year student are somewhat true and some are imposed on impulse,

Investigation report submitted by the Anti-ragging committee:

3. With Reference to Complaint no.-ARCC/UP-7173, the members of the anti-ragging committee personally met the HOD of the respective departments of the students i.e. Shvanshu Pal (B.Tech Food Technology), Atul Kumar Chobe (B.Sc. Ag), Rohit Kumar Singh (B.Sc. Biotech) and Priyanshu Singh (B.Tech Electronics) to investigate the charges made by B.Tech Food Technology 1st year student. The committee finds the facts about all allegations he imposed on the senior students of the department for abusing, and threatening to kill him in hostel, and forcing him to stand till late at night in the hostel.
4. After investigations made by the anti-ragging committee, finally submitted their conclusive report which includes the following inferences:
 - a) All the charges imposed by B.Tech Food Technology 1st year student are somewhat true and some are imposed on impulse, but no ragging was reported by any senior students against B.Tech Food Technology 1st year student.
 - b) However on the basis of complaint made by victim, all above culprits have submitted their apologies letters as they stated that such kind of misconducting will not be repeated in future.
 - c) Now victim is feeling safe and anti- ragging committee assured that committee and University are with him.
5. Report should be on the letter head of the institution or with the stamp of the Head of the institution in pdf, doc, or JPEG format along with all the supporting documents.
Report available on the letterhead of the University with the stamp.
6. Kindly mention your Regulatory Authority (i.e., UGC, MCI, NAAC, MHRD, AICTE, etc.)
UGC, AICTE approved.
7. Details of the punishment for the culprit, if any, etc.
Apology letter Attached

Appl.
Registrar
Bundelkhand University



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

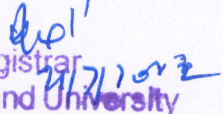
Anti-Ragging Problems and their resolutions

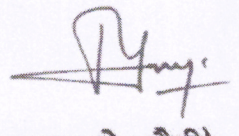
Anti-ragging committee members

(a) Prof. Rajesh Kumar Saini Chief Proctor (7318042120)	Chairman
(b) Dr. Prem Prakash Singh Assistant Proctor (9598181115)	Convener
(c) Dr. Sunil Trivedi Assistant Proctor (9450332171)	Member
(d) Dr. Shubhangi Nigam Assistant Proctor (9450068412)	Member

Case IV: Charges made by MBA 1st year students

1. The members of the anti-ragging committee personally met the faculty and students of the Institute of Management Studies and investigated the charges made by MBA 1st year students. The committee investigated the allegations he imposed on the senior students of the department for abusing, throwing cigarettes weed on his face, and forcing him to stand till late at night in the hostel.
2. The investigations made by the anti-ragging committee finally submitted their conclusive report which includes the following inferences:
 - (a) All the charges imposed by MBA 1st year students are false and irrelevant.
 - (b) No ragging was reported by any senior students against MBA 1st year students.
3. Report should be on the letterhead of the institution or with the stamp of the Head of the institution in pdf, doc, or JPEG format along with all the supporting documents.
Report available on the letterhead of the University with the stamp.
4. Details of the punishment for the culprit, if any, etc.
No culprits.


Registrar
Bundelkhand University
JHANSI


(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

Mob: 9076501608, 9412322576



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B** (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

प्रोक्टोरियल बोर्ड

प्रो० आर० के० सैनी डॉ० पुनीत विसारिया डॉ० विनीत कुमार डॉ० सुनील त्रिवेदी डॉ० उपेन्द्र सिंह तोमर
डॉ० ममता सिंह डॉ० रश्मि सिंह डॉ० श्वेता पाण्डेय डॉ० राधिका चौधरी डॉ० ए पी एस गौर
डॉ० प्रशान्त मिश्रा डॉ० सुभांगी निगम डॉ० प्रेम प्रकाश राजपूत डॉ० विजय यादव डॉ० मो० नईम
डॉ० संतोष पाण्डेय डॉ० संदीप वर्मा

सत्र 2019 – 2022 तक की समस्याओं एवं उनके निस्तारण के निर्णय

क्र.सं.	छात्र का नाम	विभाग	समस्या का निस्तारण
01.	दिनांक 15/01/2019 प्रशांत रिछारिया, प्रशांत, विशाल साहू से संबंधित	B.A. (H) Ist year, BCA Ist year, B.A. (H) Ist year	इस बैठक में सर्व सहमति से दोनों पक्षों में आपस में समझौता कर लिया गया है और दोनों पक्षों से भविष्य में कभी कोई गलती नहीं करेगा।
02.	दिनांक 30/03/2019 नन्दलाल यादव, दीपक मिश्रा से संबंधित	B.Pharm. IIIrd year, B.Pharm. Ist year,	इस बैठक में सर्व सहमति से छात्रों को एक सप्ताह के लिए विभाग से बंचित रखा गया, इसके उपरान्त विभाग में आने की अनुमति एवं छात्रों ने लिखित रूप से क्षमा मांगी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी।
03.	दिनांक 11/04/2019 अभिनव केशरवानी, अमृत राज वर्मा से संबंधित	Pharmacy Deptt.	इस बैठक में सर्व सहमति से एक सप्ताह के लिए विभाग से बंचित रखा गया, इसके उपरान्त विभाग में आने की अनुमति मिली।
04.	दिनांक 02/08/2019 आलोक श्रीवास्तव, बीरेन्द्र सिंह से संबंधित	BCA IInd Year, BSc Food Tech IInd Year	इस बैठक में सर्व सहमति से प्रथम दृष्टया प्रोक्टोरियल बोर्ड ने दोनों को दोषी पाया, इस को बाद दोनों छात्रों को होस्टल से बाहर निकाला गया।
05.	दिनांक 03/09/2019 शनि देओल पुत्र श्री राम चरण	BSc Agriculture	इस बैठक में सर्व सहमति से 03 सितम्बर को प्रोक्टोरियल बोर्ड ने निर्णय लिया कि एक सप्ताह के अन्दर अभिभावक को शपथ-पत्र के साथ कुलानुशासक कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, उपस्थिति के बाद समस्या का निस्तारण किया गया।
06.	दिनांक 24/01/2020 समता हॉस्टल के लड़को द्वारा छात्रों की बुरी तरह पिटवाई की गयी	समता हॉस्टल	उक्त मामले में प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा दोषी छात्रों को तत्काल हॉस्टल एवं विश्वविद्यालय की कक्षाओं से 10 दिनों के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा करते हुए समस्या का निवारण किया गया।
07.	दिनांक 31/01/2020 ओ०बी०सी० पुरुष छात्रावास में अनुशासन हीनता से संबंधित	ओ०बी०सी० पुरुष छात्रावास	इस बैठक में सर्व सहमति से उपस्थित छात्र आलोक श्रीवास्तव, हारुन सिद्दीकी, संदीप सिंह, आदेश सिंह एवं कार्तिक खरवाल के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए समस्या का निस्तारण किया गया।
08.	दिनांक 05/02/2020 लॉर्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़-फोड़ एवं अनुशासन हीनता से संबंधित	लॉर्ड बुद्धा छात्रावास	प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा सम्यक जांच के उपरान्त सभी छात्रों को तत्काल प्रभाव से लॉर्ड बुद्धा छात्रावास से निष्कासन कर सभी का विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभी छात्रावासों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया।
09.	दिनांक 05/03/2020	B.Com. Ist year	विज्ञान भवन के सामने दोनों छात्रों में आपस में हुयी मार-पीट



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

	सत्यम यादव, निकेत यादव	B.Com. IInd year (Economics & Finance Deptt.)	को प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक में संज्ञान में लिया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के लिए दिनांक 06/03/2020 से 13/03/2020 तक विभाग में प्रवेश से वंचित रखा गया। एवं समस्या का निस्तारण किया गया।
10.	दिनांक 15/01/2021 पियूष मिश्रा, प्रशांत पिपरिया से संबंधित	आई0ई0टी0 विभाग, आई0टी0 विभाग	प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा सम्यक जाँच के उपरान्त लार्ड बुद्धा छात्रों को छात्रावास से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित किया गया एवं 18/01/2021 से छात्रों को प्रवेश पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया।
11.	दिनांक 17/03/2021 श्याम बहादुर एवं अनुराग तिवारी से संबंधित	आई0टी0एच0एम0 विभाग	उक्त प्रकरण में श्याम बहादुर सिंह चौहान को दोषी पाया गया, एवं दोषी के अभिभावक द्वारा लिखित शपथ-पत्र लिया गया एवं समस्या का निस्तारण किया गया।
12.	दिनांक 03/12/2021 श्रेष्ठ द्विवेदी से संबंधित	प्रबंधन एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग	प्रोक्टोरियल बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि आपको दिनांक 10/12/2021 से 24/12/2021 तक बु0वि0 परिसर एवं हॉस्टल से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है एवं इस समयावधि में आप अपने अभिभावक को बोर्ड के समक्ष अपनी बात रखने के लिए बुला सकते हैं, अन्ततः समस्या का निस्तारण किया गया।
13.	दिनांक 08/04/2022 कक्षा में हाथा-पाई के संबंध में	समता हॉस्टल एवं फार्मसी विभाग	घटना में लिस छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के समक्ष आपसी समझौता पत्र प्रस्तुत किया जिसके बाद समस्या का निस्तारण किया गया।
14.	दिनांक 12/04/2022 उदयरज पुत्र चंद्र प्रकाश से संबंधित	बायोमेडिकल विभाग	प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने छात्र उदयरज से पूँछताछ की जिसमें कुछ अन्य छात्र लिस पाये गये, इस गैर-अनुशासनात्मक कृत्य के कारण बोर्ड ने अगले 15 दिन आर्थात् दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 28/04/2022 तक बु0वि0 परिसर एवं हॉस्टल में प्रतिबंध कर दिया है

Registar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

Mob: 9076501608, 9412322576



बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 3 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

PROCTORIAL BOARD

झाँसी (उ.प्र.) 284128

विभागाध्यक्ष,

दिनांक 29/03/2025

M.Sc. Zoology, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

25

विषय : छात्र शुभम पटेल द्वारा संकाय प्रमुख प्रो० राजेश कुमार सैनी से की गई हाथपाई और विश्वविद्यालय से निष्कासन के संबंध में ।

दिनांक 07 मार्च 2025 को माननीय कुलाधिपति महोदया के पत्रांक सं० बु० वि० /आर० कैप/ 2025/5039 के आदेशानुसार पढ़े विश्वविद्यालय बड़े विश्वविद्यालय" का कार्यक्रम प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच विज्ञान भवन में संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम का दायित्व विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो० राजेश कुमार सैनी का था। संकाय प्रमुख द्वारा बैठक की व्यवस्था देखी जा रही थी, इसी दौरान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, M.Sc Zoology द्वितीय सेमेस्टर के छात्र द्वारा संकाय प्रमुख से बदतमीजी की गई और साथ ही संकायाध्यक्ष के साथ हाथपाई की गई।

छात्र शुभम पटेल को उक्त कृत्य करने पर कुलानुशासक मण्डल द्वारा एक सेमेस्टर के लिये विश्वविद्यालय से निष्काशित किया गया था ।

छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल ने अपनी माताजी के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर अपनी गलती मानते हुये एक लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है ।

कुलानुशासक मण्डल के समक्ष छात्र शुभम पटेल द्वारा अपनी गलती लिखित एवं मौखिक रूप में स्वीकार करने के उपरांत छात्र का विश्वविद्यालय एवं विभाग से प्रतिबंध समाप्त किया जाता है ।।

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर /2025 / दिनांक : 25 / 04 / 2025

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

- 1 माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
- 2 कुलसचिव, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
- 3 छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल

उप कुलानुशासक

उप कुलानुशासक



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

दिनांक 24/01/2025

महेश अस्थाना,

बी0 आर्क0 Final year, Room No. 106

अमन सिंह, Room No. 107

आपके द्वारा विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास में लगे हुये गीजर को चोरी कर विश्वविद्यालय के परीसर के बाहर ले जा कर बेचने की घटना का लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा लिखित रूप में सूचना दी गई है। उक्त घटना की जानकारी सुरक्षा गार्ड द्वारा मुख्य कुलानुशासक एवं लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला को लिखित रूप में दी गई है जिसकी पुष्टी स्वम आपके द्वारा मेरे समक्ष भी की गई है। अतः अनुशासनहीनता एवं चोरी की घटना का संग्रहण लेते हुए प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आज दिनांक 24-01-2025 को आप दोनों को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास से निष्कासित कर दिया है। उपरोक्त दोनों छात्र आज शाम 5 बजे तक छात्रावास का कमरा खाली कर दें। उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर / 2025/ ~~2178~~ दिनांक : 24/01/2025

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

1. प्रोवोस्ट
2. वार्डन लार्डबुद्धा
3. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
4. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

मुख्य कुलानुशासक



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

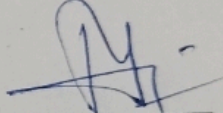
झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

दिनांक 24/01/2025

आशुतोष तिवारी,
BMLT III year, रूम न0

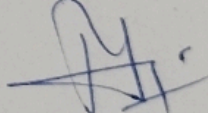
आपके द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास में कैमरा के साथ तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया था जिसकी सूचना 23 जनवरी को सुरक्षा गार्ड द्वारा मुख्य कुलानुशासक एवं लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ० बृजेन्द्र शुक्ला को लिखित रूप में दी गई थी। छात्रावास के वार्डन डॉ० बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा अपने लिखित पत्र के माध्यम से मुख्य कुलानुशासक को दिनांक 24 जनवरी 2025 को इस घटना से अवगत कराया है। अतः छात्र आशुतोष तिवारी, BMLT III year, को अनुशासनहीनता एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टि के साथ तोड़फोड़ करने का दोषी पाये जाने पर, लार्ड बुद्धा छात्रावास से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर / 2025/2075 दिनांक : 24 / 01 / 2025

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

1. HOD, BMLT III year
2. प्रोवोस्ट
3. वार्डन लार्डबुद्धा
4. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
5. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी


मुख्य कुलानुशासक

कुलानुशासक

बु० वि० वि०, झांसी

सूचित करता है, कि छात्रवास परिसर में निम्नलिखित दो घटनाओं में शामिल छात्रों को Identify कर लिया गया है।

1- कल वितोक 23/1/25 को OBC छात्रवास के गेट पर लगे कैमरे को श्री आशुतोष तिवारी, बी०एम० एल० टी० तृतीय वर्ष, ने तोड़ा, जिसमें पुष्टि पुष्टि वहाँ रैंगत गाँडे ने किया, साथ ही OBC छात्रवास के वार्डन ने भी यह पुष्टि की कि श्री आशुतोष तिवारी ने घटना को अंजाम दिया। आशुतोष तिवारी, गौतम बुद्ध छात्रवास का निवासी है।

इसकी सूचना उसके कोसी के HOD, श्री लवकुश द्विवेदी को भी दे दी गई है।

2- कल 2½ महीने पहले छात्रवास के पुराने गीजर को बेचने का प्रयास करने में

[श्री महेश अस्थाना, बी० अर्थ आन्तिम वर्ष की पहचान गाँडे द्वारा कर ली गई है।

श्री महेश अस्थाना भी गौतम बुद्ध पुरुष छात्रवास का निवासी है।

अतः उक्त घटनाओं को संज्ञा में लेते हुए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Shukla
24/1/25

(Er. Brajendra Shukla)
Warden, Grantam
Buddha Hostel

2025

करने,
लॉच
डॉ०
जेश
एवं

पर
का
गद
है।
छ
ब्रा
र
के

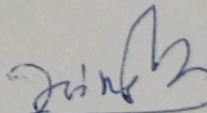
107
लिं
(107)

सुरक्षा अधिकारी महोदय
व. वि. शांसी

विषय- L. B. Boy Hostel के कैमरे से छेड़छाटी करने के सम्बन्ध में

महोदयजी
भवगत करना चाहता हूँ कि आज दिनांक-23/1/2025
समय लगभग- 14:30 बजे शाम को एक L. B. का छात्र कैमरे
के साथ छेड़छाटी कर रहा था वहाँ मौजूद गार्ड ने
छत को रोक्का और सूचना तुरन्त Hostel warden
को दी सूचना पर warden (मिन्हेट राज व.
V. मन्मोहन शर्मा) सर पहुँच गये।

महोदयजी उचित कार्यवाही करने की
कृपा करें (धन्यवाद)

सुरक्षागार - 
Shashank

Date - 23/1/2025


सुरक्षा सुपरवाइजर
व. वि. शांसी



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

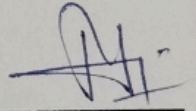
दिनांक 11/01/2025

1. सत्यम गुप्ता , B. Tech. Biotech IVth year, Room No. 126
2. शिवांशु तिवारी B.Sc. Bio tech IInd year, Room No. 227
3. अनन्य रायज़ादा B.Sc (Forensic) Ist year , Room No. 207
4. अमन सिंह यादव, BCA Ist year (OBC छात्रावास) , Room No.
5. शिवांशु पाल , B. Tech. (Foodtech) IVth year, Room No.

दिनांक 9 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा, लार्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़फोड़ करने, प्रथम वर्ष के छात्रों के कमरों पर पत्थर फेंकने, कमरों के दरवाजों को तोड़ने, छात्रावास परिसर में गाली गलौच करने एवं मारपीट करने के संबंध में एक तीन सदस्य जाँच समिति (प्रो० आर० के० सैनी, प्रो० मुन्ना तिवारी एवं डॉ० सुनील त्रिवेदी) गठित की गई थी, जिसको संग्रहण में लेकर समिति के सदस्य, वार्डन डॉ० बृजेन्द्र शुक्ला, डॉ० बृजेश लोधी, डॉ० प्रकाश चन्द्र ने दिनांक 9 जनवरी, 2025 के शाम 6.30 बजे लार्ड बुद्धा छात्रावास का निरीक्षण किया एवं छात्रावास के सभी छात्रों से सम्यक पूछ-ताछ की।

उपरोक्त सभी छात्रों के विरुद्ध लार्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़फोड़ करने, प्रथम वर्ष के छात्रों के कमरों पर पत्थर फेंकने, कमरों के दरवाजों को तोड़ने, छात्रावास परिसर में गाली गलौच करने के साथ मारपीट करने का आरोप, लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ० बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा, छात्रावास के अन्य छात्रों से पूछताछ करने के बाद अपने लिखित पत्र के माध्यम से प्रोवोस्ट एवं मुख्य कुलानुशासक को दिनांक 10 जनवरी 2025 अवगत कराया है।

प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आज दिनांक 11-01-2025 को 12.15 पर उपरोक्त सभी छात्रों से पुनः गहन पूछ-ताछ की, जिसके उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी छात्रों को कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास एवं ओबीसी छात्रावास से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। आप सभी का विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभी छात्रावासों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर / 2025/2026 दिनांक : 11/ 01/ 2025

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

1. प्रोवोस्ट
2. वार्डन लार्ड बुद्धा एवं ओबीसी छात्रावास
3. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
4. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी


मुख्य कुलानुशासक



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B** (ABOVE 5 STAR) ACCREDITED BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

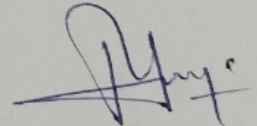
PROCTORIAL BOARD

दिनांक 11/01/2025

1. सुभंकर मोर्य, B.Sc (Ag) IInd year, Room No. 120
2. खुशाल राठौर B.Sc (Ag) IInd year, Room No.
3. आयुष, B.Sc. Bio tech Ist year, Room No.
4. मयूरेश, B.Sc. Bio tech Ist year, Room No.
5. आशुतोष, BMLT, Room No.
6. शिखर त्रिपाठी, BCA II year, Room No. 225
7. अमित, Room No. 218

दिनांक 9 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा, लार्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़फोड़ करने, प्रथम वर्ष के छात्रों के कमरों पर पत्थर फेंकने, कमरों के दरवाजों को तोड़ने, छात्रावास परिसर में गाली गलौच करने एवं ITHM एवं biotech के छात्रों (रोहित सोनी एवं शिवांश राम) के साथ मारपीट करने के संबंध में एक तीन सदस्य जांच समिति (प्रो० आर० के० सैनी, प्रो० मुन्ना तिवारी एवं डॉ० सुनील त्रिवेदी) गठित की गई थी, जिसको संगयान में लेकर समिति के सदस्य, वार्डन डॉ० बृजेन्द्र शुक्ला, डॉ० बृजेश लोधी, डॉ० प्रकाश चन्द्र ने दिनांक 9 जनवरी, 2025 के शाम 6.30 बजे लार्ड बुद्धा छात्रावास के सभी छात्रों से सम्यक पूछ-ताछ की।

उपरोक्त सभी छात्रों के विरुद्ध लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ० बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा, भी आरोपित होने का शक जाहिर किया गया है, अतः उपरोक्त सभी छात्रों को अवगत कराया जाता है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन द्वारा अनुशासनहीनता एवं छात्रावास में तोड़फोड़ की रिपोर्ट तथा प्रोवोस्ट एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा सम्यक् जांच के उपरांत आप सभी छात्रों को कड़ी एवं अंतिम चेतावनी दी जाती है की आप सभी विश्वविद्यालय के छात्रावास में अनुशासन एवं नियमों का पालन करेंगे। उक्त के अनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर / 2025/10.74. दिनांक : 11/ 01/ 2025

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

1. प्रोवोस्ट
2. वार्डन लार्ड बुद्धा एवं ओबीसी छात्रावास
3. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
4. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी


मुख्य कुलानुशासक

कुलसचिव जी/माननीय कुलपति जी,

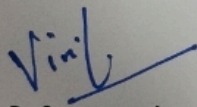
आज दिनांक 07.03.2025 को माननीय कुलाधिपति महोदया के पत्रांक सं० बु०वि०/आर०कैम्प/2025/5039 के आदेशानुसार पढ़े विश्वविद्यालय-बड़े विश्वविद्यालय का कार्यक्रम प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच विज्ञान भवन में संचालित किया गया था। इस घटना के प्रमुख तत्व निम्नवत है -

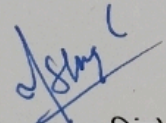
1. इस कार्यक्रम का दायित्व विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो० राजेश कुमार सैनी का था।
2. इस कार्यक्रम के संकाय प्रमुख द्वारा बैठक की व्यवस्था देखी जा रही थी, इसी दौरान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, M.Sc Zoology द्वितीय सेमेस्टर के छात्र द्वारा संकाय प्रमुख से बदतमीजी की गई और साथ ही संकायाध्यक्ष विज्ञान के साथ हाथापाई की गई।
3. इस कार्यक्रम के दौरान छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, छात्र M.Sc. (Zoology) द्वितीय सेमेस्टर द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाले जाने और शांतिभंग करने का प्रयास किया गया।
4. विज्ञान भवन में कुलानुशासक मण्डल और सुरक्षा गार्ड के पहुंचने पर भी छात्र द्वारा सभी के साथ अनुचित व्यवहार किया गया।
5. जन्तु विज्ञान के समन्वयक डा० आदित्य नारायण ने भी संकाय प्रमुख प्रो० राजेश कुमार सैनी से उक्त छात्र को अश्रद्धा के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हुये देखा।
6. उक्त छात्र ने भी अपने लिखित कथन में प्रो० राजेश कुमार सैनी के साथ किये गये दुरव्यवहार को स्वीकार किया है।
7. प्रो० राजेश कुमार सैनी, संकायाध्यक्ष विज्ञान द्वारा अपने लिखित कथन में छात्र द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार/अश्रद्धा और हाथापाई की सूचना से कुलसचिव को अवगत कराया गया है।

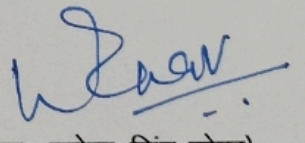
संस्तुति

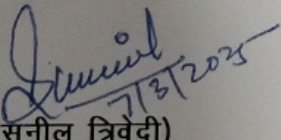
1. छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, M.Sc. Zoology द्वितीय सेमेस्टर द्वारा किया गया कृत्य दण्डनीय प्रकृति का है।
2. संकाय प्रमुख (विज्ञान) प्रो० राजेश कुमार सैनी से छात्र द्वारा की गई हाथापाई और बदतमीजी पूरे शिक्षक समाज के लिये अक्षम्य है।
3. उक्त छात्र पर कठोर से कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि यह कार्यक्रम माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा आदेशित था जिसमें उक्त छात्र द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करते हुये अन्य छात्रों को कार्यक्रम से बाहर रहने के लिये उकसाना एक गंभीर प्रकृति में आता है।
4. कुलानुशासक मण्डल द्वारा उक्त छात्र को एक सेमेस्टर के लिये विश्वविद्यालय से निष्काशित किया जाता है। इस अवधि में छात्र शुभम पटेल M.Sc. Zoology द्वितीय सेमेस्टर का विश्वविद्यालय में प्रवेश भी प्रतिबन्धित किया जाता है।
5. छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल अपने पिता/अभिभावक के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

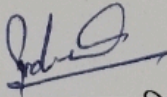
संलग्नक- यथोक्त

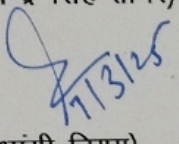

(प्रो० विनीत कुमार)

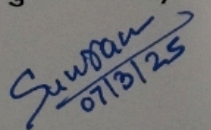

(डा० ममता सिंह)

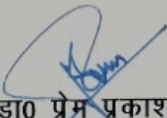

(डा० उपेन्द्र सिंह तोमर)

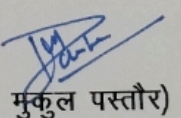

(डा० सुनील त्रिवेदी)

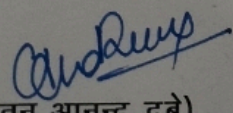

(डा० प्रशान्त मिश्र)


(डा० शुभांगी निगम)


(डा० सुमिरन श्रीवास्तव)


(डा० प्रेम प्रकाश राजपूत)


(डा० मुकुल पुस्तौर)


(डा० चेतन आनन्द दुबे)

माननीय कुलपति महोदय / माननीय कुलसचिव

रम रम सी. हाव सुभम पटेल ने आज

दिनांक 7/3/25 में हमारे सादरणीय डीन साइम महोदय के साथ अमृदता के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया है। आप उक्त रमरमसी हाव के साथ इस प्रकार से के साथ नियमानुसार कार्यवाही करना चाहें।

उक्त घटना के समय पटे विश्वविद्यालय बड़े विश्वविद्यालय के तहत विज्ञान विभाग में कार्यक्रम चल रहा था उस समय सभी शिक्षकों के साथ में स्वयं उपस्थित था।

संलग्नक: हाव की फाइल

भवदीय

Mitya Narayan 7/3/25

(डा० आदित्य नारायण)

तत्काल

प्रोक्टोरियल बोर्ड

कृपया प्रकरण पर प्रतिक्रिया निर्दिष्ट करें

Appl
7/3/25

19

कुलानुशासक मंडल
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
औसी (ग्रुप पीठ) 284128

दिनांक: 07/03/25

विषय: विज्ञान भवन के सामने "पदंगा विश्वविद्यालय / बुंदंगा
विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के समय के संबन्ध में।

दिनांक: 07/03/2025

महोदय जी,

सतिनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं शुभम पटेल
जन्तु विभाग के M.Sc. IInd सेम का छात्र धूम में स्कामक
आधे घण्टे बैठने के बाद गेट पर था, तभी संकाय प्रमुख
के बास्केट में नहीं जानता था, तथा अको नहीं पहचानता था।

मेरी हुई गलती के लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए
और मुझसे कुछ कुरवतहार अंजाने में हो गया, विभाग में
नियमित रूप से उपस्थित रहता हूँ व पढ़ाई करता हूँ। तथा मैं
आचरण भीक रहा है तथा मेरे शिक्षकों से भी मेरे आचरण के
बारे में पता कर सकते हैं। कृपया मुझे क्षमा करें की कृपा करें

भविष्य में इस तरह की आचरण नहीं होगा

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे क्षमा करें की कृपा करें।

प्रार्थी

शुभम-पटेल

M.Sc. जन्तु विभाग

2024-25

पिता: सुनील कुमार पटेल

मोब 9008919659


 (प्रो. भारती के लोनी)
 संकाय प्रमुख, विज्ञान

टिप्पणी एवं आदेश

माननीय कुलपति जी,

कृपया अवगत कराना है कि बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान में अध्ययनरत कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा विभाग का माहौल आये दिन खराब किया जा रहा है, विभाग में अध्ययनरत छात्रों को आंदोलन करने के लिए उकसाना, छात्रों से कक्षाओं का बहिष्कार कराया जाना एवं अन्य उपद्रवी घटनाओं को अंजाम देना इन्होंने अपना कार्य बना लिया है। इन छात्रों द्वारा कक्षाओं में पठन-पाठन सम्बन्धी कार्य को छोड़कर आये दिन उपद्रव के कार्य विश्वविद्यालय परिसर में किये जाते हैं ये केवल अपने विभाग के छात्रों को आंदोलन करने हेतु नहीं उकसाते हैं, बल्कि अन्य विभाग के छात्र/छात्राओं को भी हंगामा करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। दिनांक 24.03.2025 को भी इन छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क का मुद्दा बनाते हुये परीक्षा भवन में हंगामा किया गया एवं सेशनल परीक्षा सम्बन्धी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्रों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को आदेश प्रदान करने की कृपा करें जिससे की विभाग की गरिमा बनी रहे एवं विभाग में पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

1. अनिरुद्ध प्रताप सिंह भदौरिया (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
2. अंशल छत्रसाल (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
3. दीपेन्द्र कुमार (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
4. विराट सिंह (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
5. अनीकेत यादव (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
6. अंकित कुमार (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
7. सचिन यादव (बी0ए0एलएल0बी0 X Semester छात्र)
8. शैलेन्द्र सिंह यादव, (भूतपूर्व छात्र)

28-3-25
समन्वयक
विधि संस्थापन
B.J.R. Institute of Law
Bundelkhand University, Jhansi

Registrar

कुलपति कार्यालय-
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
भाज प्राप्त 3/80
प्रमाण तिथि 28/3/25

Chief Proctor

कुलपति,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी।

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय,

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय,

झाँसी, उत्तर प्रदेश

Registrar
14/5/25

Proctor,

14/5/25

विषय: परीक्षा भवन में पटाखे फोड़ने के लिए क्षमा याचना एवं एलएलबी पाठ्यक्रम से निष्कासन हेतु पुनर्वास का अनुरोध

आदरणीय महोदय,

मैं, दीपेंद्र कुमार, बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में एलएलबी तृतीय वर्ष का छात्र, अत्यंत विनम्रता के साथ यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि परीक्षा भवन में पटाखे फोड़ने की अनुचित घटना में मेरी संलिप्तता के लिए हृदय से क्षमा माँग सकूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ कि मेरा यह कृत्य विश्वविद्यालय के अनुशासन और मर्यादा के विरुद्ध था, और इसके लिए मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे अपने इस व्यवहार पर गहरा पश्चाताप है, जो कि जानबूझकर नहीं, अपितु क्षणिक मूर्खता का परिणाम था।

मैं इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई के अवसर को अत्यधिक महत्व देता हूँ और अनुशासन के महत्व को समझता हूँ। मेरे इस कृत्य के कारण एलएलबी पाठ्यक्रम से निष्कासन ने मुझे मेरी गलती की गंभीरता का एहसास कराया है, और मैं इसे सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अत्यंत नम्रता के साथ, मैं आपसे क्षमा प्रदान करने और मेरे निष्कासन को रद्द कर एलएलबी पाठ्यक्रम में पुनः नामांकन की अनुमति देने का अनुरोध करता हूँ।

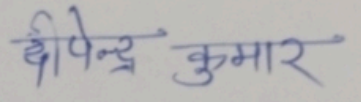
मैं विश्वविद्यालय के सभी नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करने, अनुकरणीय आचरण बनाए रखने, और भविष्य में किसी भी गैरदानूनी या अनुचित गतिविधि में शामिल न होने का पवित्र वचन देता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दूँगा और विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण में सकारात्मक योगदान दूँगा। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, और अपने सहपाठियों से इस घटना के कारण हुई असुविधा के लिए हृदय से माफी माँगता हूँ। मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी भी सुधारात्मक उपाय को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ ताकि अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध कर सकूँ।

14/5/2025
PS

मैं आपसे कृपापूर्वक क्षमा और अपनी शिक्षा को इस सम्मानित संस्थान में जारी रखने के लिए एक अवसर प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आपका यह दयालु निर्णय मुझे मेरे शैक्षिक जीवन को पुनर्जनन करने और एक जिम्मेदार छात्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने का अवसर देगा।

मेरे आवेदन पर विचार करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके करुणापूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा में हूँ और आपकी दया के लिए सदा आभारी रहूँगा।

सादर,

दीपेन्द्र कुमार 

रोल नं - 221011037044

एलएलबी तृतीय वर्ष

बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर

झाँसी, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 06 मई, 2025